फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

किसनाराम

बनाम

उम्मेदाराम इत्यादि

किस्म मुकदमा....225 आर.टी.एक्ट न. 107 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.07.2023	पत्रावली बाद जाचं होकर कार्यालय से पेश हई। अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 71/2023 बअनवान उम्मेदराम बनाम किसनाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23.05.2023 के विरूद्ध पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री रोशनलाल उपस्थित। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट के अधिवक्ता के निवेदन पर बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी के द्वारा अपनी खातेदारी व हक हिस्से की भूमि में मकान का निर्माण कार्य छत पूर्ण किया हुआ है, जिसे स्थगन आदेश से रूकवा दिया गया है। अभी बारिश का समय शुरू हो जाने के कारण निर्माण नहीं होने के कारण अपीलार्थी व उसके परिवार को भरपूर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा अपने निवास के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को डाक से रजिस्टर्ड नोटिस भेजे जाने का आदेश दिया था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना नहीं की गई तथा जवाब प्रस्तुत करने के बावजूद भी सुनवाई नहीं की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, जबकि विधि अनुसार सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। इस कारण आलौच्य आदेश निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान ही नहीं किया। अपीलार्थी रेकर्डेड खातेदार है तथा उसे अपने हक–हिस्से की भूमि को पूर्ण रूप से उपयोग व उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है। प्रत्यर्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदुओं को अपने पक्ष में साबित नहीं किया है तथा मौके पर अपीलार्थी व अन्य प्रत्यर्थीगण का कब्जा होने के कारण भी प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में हैं। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2023 को निरस्त फरमाया जावे। अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड सहखातेदार है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पद संख्या दो में स्वयं ने स्वीकार किया है कि उनके पूर्वज	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हणुताराम के द्वारा किये गये मौखिक बंटवाड़े अनुसार ही प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण वर्तमान में काबिज काश्तकार है। मौखिक बंटवाड़े अनुसार ही सभी ने अलग–अलग कब्जा कर रहवासीय मकान बना कर रहवास कर रहे है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब एवं अपील के साथ प्रस्तुत छायाचित्र के मुताबिक अपीलांट का खसरा नं. 399 में निर्माणाधीन मकान आर.सी.सी. लेवल तक पूर्ण हो चुका है। निर्माणाधीन मकान में केवल फिनीसिंग का कार्य शेष है। वर्तमान में बारिश के मौसम को देखते हुए विचारण न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट के निर्माणाधीन आवास के कार्य को रोका जाना विधिसम्मत नहीं है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में पाये जाते है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. का अंतिम निस्तारण होना शेष है। विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी/अपीलांट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2023 में अपीलांट के खसरा 399 में निर्माणाधीन मकान को पूर्ण किये जाने की छूट प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का शेष अपीलाधीन आदेश यथावत रहेगा। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की सुनवाई कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का युक्तियुक्त अवधि में अतिशीघ्र विधिसम्मत निस्तारण करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

12.07.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर